

पर लिखा गया / पञ्जाबली काल्ड  
अन्तर्गत आदेश हेतु दिनांक 13/9/2021  
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर  
एव उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

13/9/2021

पञ्जाबली पेश हुये वादी कर्मी  
एवं प्रतिवादी कर्मी उपर वादी  
एवं प्रतिवादी के बीच आयली  
रकम आदेश से शर्जीनामा हो गया  
है शर्ज काटने वादी किये द्वारा  
उत्पन्न राके को आगे नहीं चलाया  
जायेगा।

Gm adw.

सालीर

शिवराज

क्रि. पञ्जाबली से लोक अदालत  
की अतिना से शर्जीनामा हो जाने  
के पञ्जाबली पारिजे विद्वान् शर्जी  
शर्जी की गली है। पञ्जाबली  
के अन्तर्गत हुकर होकर नम्बर के  
कम व दफ्तर सारिनामा हो।

सहायक कलेक्टर  
एव उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर  
एव उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

